



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 27 जनवरी, 2005 ई०
माघ 07, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 415/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005
देहरादून, 27 जनवरी, 2005

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पर दिनांक 27 जनवरी, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 05, सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005
(उत्तरांचल अधिनियम सं० 05, वर्ष 2005)

उत्तरांचल में तकनीकी शिक्षा की उन्नति और विकास के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था के लिए
अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के पचपनवें वर्ष में एतद्द्वारा उत्तरांचल विधान सभा द्वारा अधिनियमित-

